## सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आंवटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित है ।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यतः ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों/ उद्यमियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से रोजगार परक योजनायें संचालित की जा रही है। लाभार्थियों/उद्यमियों के चयन तथा औपचारिकतायें पूर्ण करने के लिये निम्न प्रकियाएं निर्धारित की गई है :–
होता है :–

**1–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार की योजना है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवक/युवतियों तथा विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को स्वरोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने तथा विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है।

योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापना हेतु सेवा क्षेत्र हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र में धनराशि रू0 50.00 लाख तक का ऋण विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता हैं ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के लाभार्थीयों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का प्राविधान है। विशेष श्रेणियों के लिये मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत किये जाने का प्राविधान है। लाभार्थी का स्वयं का अंशदान सामान्य श्रेणी–10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिये 05 प्रतिशत।

**आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज –**

1. पासपोर्ट फोटो।
2. आधार कार्ड।
3. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
4. विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, जहां भी आवश्यक हो।
5. ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र।
6. रोजगार संख्या के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।
7. शिक्षा/ई0डी0पी0/कौशल विकाश प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
8. कोई अन्य लागू दस्तावेज।

**लाभ प्राप्त करने की प्रकियाः–** लाभार्थियों का चयन ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से कियान्वित एजेन्सी द्वारा स्कोरिंग पद्वति के आधार पर किया जाता है, तत्पश्चात् श्रण आवेदन पत्रों को सम्बन्धित वित्तिय बैंकों को स्वीकृत/वितरित हेतु प्रेषित किया जाता है, वित्तीय बैंकों द्वारा उद्यमी के ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत/वितरित करने के पश्चात् उद्यमी की मार्जिन मनी की उपयुक्त राशि को वित्तीय बैंक शाखा में उद्यमी के नाम एफ0डी0 रखी जाती है। तत्पश्चात् इकाई के भौतिक सत्यापन उपरान्त् उद्यमी के खाते में समायोजित कर दी जाती है।

**योजना की विशेषताऐंः–**योजना की गाइड लाईन के अनुसार मांस/नशीली सामग्री/ बागवानी/पशुपालन/खादी/पौली वस्त्र/पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाने वाली परियोजनाओं को छोडकर अन्य किसी परियोजना को तैयार करके लाभार्थी अपना स्वरोजगार स्थापित कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

**योजना अन्तर्गत वित्त पोषणः–** बैंक वित्त के माध्यम से।
**लाभार्थी का स्वयं का अंशदानः–** विशेष श्रेणी–05 प्रतिशत, सामान्य श्रेणी–10 प्रतिशत।
**पात्रताः– 1.** 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति।
**2**. आयु की कोई उच्चतम् सीमा नहीं है।
**3**. रू0 5.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिये कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है।
**4**. विनिर्माण क्षेत्र की रू0 10.00 लाख से अधिक लागत तथा सेवा क्षेत्र में रू0 5.00 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिये आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

**मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना :–**

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऐसे उद्यमशील युवा उद्यमी, जो राज्य के मूल अथवा स्थाई निवासियों और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करने एवं स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिये अधिकतम् रू0 25. 00 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत रू0 10.00 लाख तक है।

**कार्ययोजनाः–**

ऐसे उद्यमशील युवाओं/युवतियों, उत्तखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने, उन्हें आवश्यक मार्ग दर्शन देने, विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना से सम्बन्धित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा संचालित योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने की विशेष व्यवस्था जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से की जायेगी।

**पात्रता :–**

1. आवेदन की आयू आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये।
2. शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
3. योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
4. आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तिय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिये।
5. आवेदन द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिये योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
6. आवेदन अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
8. विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुये ''पहले आयें पहले पायें'' के आधार पर किया जायेगा।

**आवश्यक दस्तावेज** – योजना अन्तर्गत निम्न दस्तावेज का विवरणः –

1. मूल निवास प्रमाण पत्र।
2. पासपोर्ट साइज फोटो।
3. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
4. आधार कार्ड कॉपी
5. शपथ पत्र।
6. शिक्षा का प्रमाण पत्र।
7. बैंक डिटेल कॉपी।
8. जाति प्रमाण पत्र।
9. दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
10. राशन कार्ड की कापी।

जनपदवार अधिकारियों का विवरण एवं सम्पर्क निम्नानुसार है –

| क्र0 | जनपद का नाम | कार्यालय दूरभाष संख्या |
|---|---|---|
| 1 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय कालाढूँगी नैनीताल | 05946–280247 |
| 2 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पौडी गढ़वाल | 01368–222281 |
| 3 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पिथौरागढ़ | 05964–224170 |
| 4 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नई टिहरी | 01376–233092 |
| 5 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय देहरादून | 0135–2532734 |
| 6 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चम्पावत | 05965–230898 |
| 7 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अल्मोड़ा | 05962–232306 |
| 8 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उत्तरकाशी | 01374–222401 |
| 9 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उधमसिह नगर | 05944–250262 |
| 10 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रूद्रप्रयाग | 01364–233097 |
| 11 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चमोली | 01372–252286 |
| 12 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय हरिद्वार | 01334–239346 |
| 13 | जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बागेश्वर | 05963–221454 |

## ऊन बैंक की स्थापना

उत्तराखण्ड में भेड पालन सीमान्त पर्वतीय जनपदों में एक अच्छा व्यवसाय है। उनके द्वारा उत्पादित ऊन के विपणन की व्यवसाय को उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन के पूर्व नियोजित नही थी, जिससे भेड पालकों को उचित मूल्य नही मिल पाता था। उक्त को दृष्टिगत उत्तराखण्ड खादी बोर्ड द्वारा ऊन बैंक की स्थापना की गई है। योजना अन्तर्गत पशुपालन विभाग

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्थानीय भेड़पालकों की ऊन को विभागीय ऊन क्रय समिति के माध्यम से क्रय किया जाता है।

**खादी वस्त्रों की ब्रिकी पर छूट** :– खादी वस्त्रों की बिक्री पर 108 कार्यकारी दिवसों हेतु प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत व भारत सरकार द्वारा खादी वस्त्रों के उत्पादन पर 20 प्रतिशत एम0डी0ए0 में माध्यम से छूट प्रदान की जा रही है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा छूट दिये जाने हेतु शासनादेश शासन से किये जाने का दायित्व मुख्यालय का है। रिवेट दावों का क्लेम सम्बन्धित संस्था द्वारा जिलें स्तर पर किया जाता है। जिले द्वारा रिवेट बिलों का परीक्षण एवं जॉचोपरान्त भुगतान पारित करते हुये मुख्यालय को भेजा जाता है। मुख्यालय द्वारा जिलें की जॉच के उपरान्त शासन से प्राप्त बजट के अनुसार भुगतान की कार्यवाही सम्बन्धित संस्था को सीधे की जाती है।